

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

वादी

राजू बावरी


बनाम

अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

राजूराम पुत्र गोपाल बावरी

प्रकरण : प्रा. पत्र

मुकदमा नं. 179 / 2024

| क्र.सं. | हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये। |
|---------|--|--|
| 025 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी गैर हाजिर। प्रकरण को अवलोकन किया जिससे ज्ञात हुआ कि प्रकरण हाजा दिनांक 23.05.2024 से तलबी में लम्बित चला रहा है। तथा प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी अनेक अवसर दिये गये है। परन्तु वकील प्रार्थी ने आदिनांक तक सम्मन तलबाना पेश नहीं किये है ना ही आज उपस्थित आये है।</p> <p>अतः प्रकरण वकील प्रार्थी द्वारा साबिका आदेश की पालना नहीं की जाने पर अदम हाजरी व अदम तकमील में खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p> | |